छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

फरवरी–मार्च, 2017 सत्र

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2017 को
माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर
श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा
दिनांक 27 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत

कृतज्ञता–ज्ञापन प्रस्ताव
में
संशोधन की सूचनाएं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए हैं उन सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं:–

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
5. श्री अमरजीत भगत, सदस्य
6. श्री कवासी लखमा, सदस्य
7. श्री मोती लाल देवांगन, सदस्य
8. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य
9. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य
10. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
11. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
12. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
13. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य
14. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य
15. श्री दीपक बैज, सदस्य
16. डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य
17. श्री उमेश पटेल, सदस्य
18. श्री राजेन्द्र कुमार राय,सदस्य
19. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य
20. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य
21. श्री मोहन मरकाम, सदस्य
22. श्री रामदयाल उइके, सदस्य
23. श्री चुन्नीलाल साहू(अकलतरा), सदस्य
24. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य
25. श्री अरूण वोरा, सदस्य
26. श्री संतराम नेताम, सदस्य
27. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य
28. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य
29. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य
30. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य
31. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
32. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य
33. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य
34. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य

इस संकलन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उपर्युक्त माननीय सदस्यों के ग्राह्य संशोधनों की सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। कुछ संशोधनों में आंशिक रूप से सुधार किया गया है।

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष

किन्तु खेद है कि –

1. किसानों को समर्थन मूल्य पर तीन सौ रूपये धान का बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
2. किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100/– प्रति क्विंटल देने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों को रोकने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में मनरेगा के मजदूरों को नियमित मजदूरी भुगतान कराने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
6. मनरेगा में सरकार द्वारा 150 से 200 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में आदिवासियों के उत्पीड़न को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में विद्युत की दरों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी की रोकथाम करने का उल्लेख नहीं हैं।
10. प्रदेश में उन्नत तकनीक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में भ्रष्टाचार की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के कुपोषण की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में गुणवत्ता पूर्ण भवन, सड़क, पुल, पुलियों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में सब्जी उत्पादन किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में चिटफंड सहित अन्य अवैधानिक कार्यों की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संसदीय प्रणाली के सुचारू संचालन का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में नोटबंदी के बाद मजदूरों के हो रहे पलायन को रोकने हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती एवं लो–वोल्टेज की समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश के किसानों को सस्ते दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण हेतु उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन की रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं हैं।
24. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री के रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश में वनों की अवैध कटाई एवं वन्य प्राणियों के अवैध शिकार की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में वनांचल क्षेत्रों में वन्य प्राणियों द्वारा जानमाल के किए जा रहे नुकसान पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, अपरहरण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण सड़क, पुल,पुलिया एवं भवनों के निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में वनोपज का समर्थन मूल्य बढ़ाकर आदिवासियों एवं वनसमितियों के हितों के संरक्षण का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश में उद्योगों द्वारा अधिग्रहित की गई किसानों की भूमि के लिए अनुबंध के पालन सुनिश्चित कराने का उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश में पी.डी.एस. खाद्यान्नों की कालाबाजारी रोकने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश में खरीफ वर्ष 2016–17 में पंजीकृत किसानों की धान खरीदी कर किसानों के हित संरक्षण का उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश के किसानों से क्रय किए गए धान की समस्त राशि अदा करने का उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश के ब्लॉकों में संचालित आई.टी.आई. मे ंप्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।
36. प्रदेश के मॉडल स्कूलों में निजी हाथों द्वारा बाजारीकरण को रोकने का उल्लेख नहीं है ।

37. प्रदेश में भवन विहीन स्कूलों हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

38. प्रदेश में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

39. प्रदेश के शिक्षाकर्मियों की मूलभूत समस्याओं निराकरण का उल्लेख नहीं है।

40. प्रदेश में भ्रष्टाचार के नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

41. प्रदेश के गरीब परिवारों की सहायता हेतु संचालित योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को दिलाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

42. प्रदेश के किसानों के राशन कार्ड में कटौती कर की गई उपेक्षा रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

43. प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में मानव अधिकार की रक्षा करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

44. प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की छटनी रोकने का उल्लेख नहीं है।

45. प्रदेश के शासकीय मंदिरों, देवस्थानों की सुरक्षा का उल्लेख नहीं है।

46. जी.एस.टी. के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

47. प्रदेश में लगातार बढ़ रही नक्सली समस्याओं के समाधान का उल्लेख नहीं है।

48. प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की पदस्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

49. प्रदेश के आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

50. प्रदेश में कन्या छात्रावासों में शौचालय निर्माण एवं सुरक्षा का उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश में आई.टी. पार्क के स्थापना का उल्लेख नहीं है।

52. प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल देने में सरकार असफल रही है।
2. किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 300/– प्रति क्विंटल बोनस देने में सरकार असफल रही है।
3. प्रदेश में सिंचाई के रकबे में वृद्धि करने में सरकार असफल रही है।
4. नक्सल समस्या के समाधान करने में सरकार असफल रही है।
5. प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने में सरकार असफल रही है।
6. प्रदेश में बलात्कार, महिला उत्पीड़न की रोकथाम करने में सरकार असफल रही है।
7. प्रदेश में विद्युत दरों की बढ़ोत्तरी को रोकने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में वनाधिकारों के पट्टे देने का उल्लेख नहीं है।
10. मनरेगा में 200 दिन मजदूरी देने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में खनिज के अवैध खनन को रोकने में सरकार असफल रही है।
14. प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पदस्थापना करने में सरकार असफल रही है।
15. प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
16. स्वच्छता अभियान के तहत् निर्माणाधीन शौचालय के गुणवत्ताहीन निर्माण को रोकने का उल्लेख नहीं है।
17. सूखा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
19. वनों की अवैध कटाई को रोकने का उल्लेख नहीं है।
20. नसबंदी कांड के दोषियों को सजा दिलाने में सरकार विफल रही है।
21. प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने में सरकार विफल रही है।
22. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री को रोकने का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
24. किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश में शराब बंदी करने का उल्लेख नहीं है।

26. प्रदेश के नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर कम करने का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश के आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश के भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश में किसानों को निःशुल्क पम्प कनेक्शन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में चिटफंड कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
31. शौचालय निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश में कुपोषण को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को नियमित मानदेय देने का उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश में नकली खाद बीज पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश में प्रशासनिक आतंकवाद को रोकने का उल्लेख नहीं है।
36. प्रदेश में वनाधिकार के सामुदायिक दावों को प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
37. प्रदेश में सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश से मजदूरों के पलायन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
39. बस्तर में फर्जी मुठभेड़ रोकने का उल्लेख नहीं है।
40. प्रदेश के जलाशयों एवं बांधों को नियम विरूद्ध उद्योगपतियों को सौपने से रोकने में सरकार विफल रही है।
41. बस्तर में आदिवासी महिलाओं से दैहिक शोषण करने वालों को गिरफ्तार करने का उल्लेख नहीं है।
42. प्रदेश में मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
43. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिनों के मानदेय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
44. प्रदेश के किसानों के एक–एक दाना धान खरीदने से सरकार विफल रही है।
45. प्रदेश के किसानों को रबी फसल की सिंचाई हेतु पानी प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
46. प्रदेश में पेशा कानून को लागू करने का उल्लेख नहीं है।
47. प्रदेश में लघु वनोपज के समर्थन मूल्य में की गई कमी को रोकने का उल्लेख नहीं है।
48. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
49. प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
50. बस्तर के सुकमा जिले के गांव पोलावरम बांध के डूब क्षेत्र में आने से बचाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
51. प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण होने के बाद भी भू–अभिलेख सुगमता से जनता को प्राप्त कराने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
2. सार्वजनिक न्यास वाले मंदिरों की भूमि प्रबंधन हेतु जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौपने का उल्लेख नहीं है।
3. नक्सली क्षेत्र में तैनात पुलिस बलों के स्थानांतरण हेतु नीति का उल्लेख नहीं है।
4. पुलिस हेतु उचित भत्ते एवं अवकाश की उचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
5. आदिवासी अंचलों में इंटरनेट से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
6. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राध्यापकों की कमी दूर करने का उल्लेख नहीं है।
7. जंगल सफारी की टिकट आम जनता के लिए कम किए जाने का उल्लेख नहीं है।
8. कन्या छात्रावासों में सुरक्षा की उचित व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
9. सरस्वती सायकल योजना अंतर्गत गुणवत्तायुक्त सायकल प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।
10. युक्तियुक्तकरण की सही नीति बनाकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने का उल्लेख नहीं है।
11. गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने का उचित दाम उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
12. किसानों को कृषि ऋण हेतु बिचौलियों की भूमिका समाप्त कराने का उल्लेख नहीं है।
13. मृदा परीक्षण केन्द्र का समुचित लाभ किसानों को दिलाने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का समुचित लाभ किसानों को दिलाने का उल्लेख नहीं है।
15. सुखा प्रभावित ग्रामों का उचित सर्वे कर प्रभावितों को मुआवजा दिलाने का उल्लेख नहीं है।
16. भागीरथी योजना का लाभ दिलाने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसानों को उचित लाभ दिलाने का उल्लेख नहीं है।
18. खराब हैंडपंपों का उचित संधारण कर पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
19. आदिवासी क्षेत्रों में आयरनयुक्त पानी की गुणवत्ता सुधार कर स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
20. ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनों हेतु आवास की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
21. नया रायपुर में बसाहट करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
22. स्वच्छ भारत अभियान में गुणवत्ता युक्त शौचालय निर्माण का उल्लेख नहीं है।
23. प्रांरभिक शिक्षा हेतु शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

24. मुख्यमंत्री अमृत योजना में गुणवत्ता युक्त दूध उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
25. आंगनबाड़ी केन्द्रों में उचित पौष्टिक आहार वितरण का उल्लेख नहीं है।
26. डिजिटल इंडिया योजना का उचित कार्यान्वयन का उल्लेख नहीं है।
27. सड़क निर्माण कार्यो को गति देने का उल्लेख नहीं है।
28. महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
29. राज्य में स्टार्टअप योजना के तहत अनुबंधित इकाईयों से काम प्रारंभ कराने का उल्लेख नहीं है।
30. ओ.डी.एफ घोषित ग्रामों में निर्मित शौचालय का निर्माण गुणवत्तायुक्त कराने का उल्लेख नहीं है।
31. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना का उचित रूप से संचालन का उल्लेख नहीं है।
32. खुले में शौच से मुक्त करने हेतु नागरिकों को जागरूक बनाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
33. पंचायत एवं सहकारिता के क्षेत्र द्वेषपूर्ण चुनाव को रोकने का उल्लेख नहीं है।
34. सांसद आदर्श ग्राम योजना के समुचित संचालन का उल्लेख नहीं है।
35. विधायक आदर्श ग्राम योजना के सुचारू संचालन का उल्लेख नहीं है।
36. किसानों को पिछले वर्षो के धान के बोनस के भुगतान का उल्लेख नहीं है।
37. उचित मूल्य पर किसानों के धान खरीदी का उल्लेख नहीं है।
38. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के उचित कार्यान्वयन का उल्लेख नहीं है।
39. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण कार्य रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
40. पर्यावरण सुधार हेतु उचित कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
41. शासन की नीतियों का लाभ अंतिम पक्ति के व्यक्ति तक पहुचाने का उल्लेख नहीं है।
42. सार्वजनिक परिवहन हेतु उचित व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।
43. स्वस्थ्य छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
44. जिला खनिज न्यास को समय पर राशि आबंटित करने एवं विधायकों की सलाह पर बेहतर कार्य कराने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
45. किसानों को सहज ऋण उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
46. प्रदेश में धान का रकबा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

47. कृषि लागत में बढ़ोत्तरी के बावजूद उत्पादित उपज समय पर शासन द्वारा क्रय किए जाने का उल्लेख नहीं है।

48. भोजपुरी साहित्य अकादमी के गठन का उल्लेख नहीं है।

49. 5 से 6 माह पूर्व उद्योगों में छटनी से बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

50. बजट में पूर्व से स्वीकृत कार्यो की लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराने का उल्लेख नहीं है।

51. संस्कृति परिषद के गठन का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. प्रदेश के लाखों बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने कोई उल्लेख नहीं है।
2. किसानों को सहकारी समिति में बेचा गया धान का भुगतान शीघ्र करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. किसानों को फसल बीमा मुआवजा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. धान का बोनस 300/– रूपये दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. धान को समर्थन मूल्य 2100/– रूपये पर खरीदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।
6. किसानों द्वारा उत्पादित धान की पूर्ण खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।
7. खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा। कार्ड बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. धान खरीदी केन्द्रों में किसानों से अधिक धान की तौलाई करने से रोकने का उल्लेख नहीं है।
9. धान की उत्तम गुणवत्ता का बीज आपूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
10. साग–सब्जी की किसानी करने वाले किसानों को क्षति का मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
11. खेत और फसलों को नुकसान करने वाले जंगली सुअरो को पकड़ने एवं फसल सुरक्षा के इंतजाम करने का उल्लेख नहीं है।
12. रायपुर के ग्राम– तामासिवनी और खोरपा में महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
13. ग्राम–तोरला, जिला–रायपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में सिंचाई लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
15. एनीकटों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के स्कूलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में 2000 से अधिक जन संख्यावाले हजारों ग्रामों में नल–जल योजना की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश में मुरम के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में संचालित रेत खदानों संचालकों द्वारा बड़े पैमाने पर रेत रायल्टी की चोरी को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश में निर्मित एनीकटों में खराब गुणवत्ता के कारण पानी का भराव नहीं हो रहा जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों के लंबित भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
23. नया रायपुर विकास प्राधिकरण में किसी भी जनप्रतिनिधि को सदस्य बनाये जाने तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
24. स्वच्छ भारत मिशन के तहत् बनाये गये शौचालयों का भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
25. रायपुर से धमतरी (पुराना मार्ग) को फोरलेन बनाने का उल्लेख नहीं है।
26. विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत् विकास कार्यों के लिये राशि आवंटन करने का उल्लेख नहीं है।
27. रायपुर जिले की गो. नवापारा में 100 बिस्तर अस्पताल प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश में बढ़ती नक्सल समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।
29. किसानों को सिंचाई पम्पों के लिये निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अमरजीत भगत, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. सरगुजा संभाग अंतर्गत हाथियों के उत्पात को रोकने हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।
2. उच्च शिक्षा अंतर्गत शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छुटी हुई सड़कों को जोड़ने एवं सड़कों के रख–रखाव हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
4. स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालयों के प्रोत्साहन राशि के भुगतान का उल्लेख नहीं है।
5. भू–विस्थापित लोगों को पुर्नवास हेतु कारगर कदम उठाए जाने का उल्लेख नहीं है।
6. दिव्यांगों को रोजगार देने हेतु कोई कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने का उल्लेख नहीं है।
8. धान के बोनस हेतु किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
9. किसानों द्वारा किये गये आत्महत्या के मुआवजा का भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
10. आदिवासी बाहूल क्षेत्र में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है।
11. गरीबों को प्रदत्त स्वास्थ्य सेवा योजना का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के ओलावृष्टि प्रभावित किसानों एवं मैनपाट के आलू एवं टाउ उत्पादक कृषकों को मुआवजा भुगतान का उल्लेख नहीं है।
13. उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख नहीं हैं।
14. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख नहीं है।
15. मनरेगा के मजदूरी भुगतान हेतु कोई कारगर उपाय का उल्लेख नहीं है।
16. किसानों की ऋण माफी के लिए कोई कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।
17. कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवा बेरोजगारों को रोजगार/स्वरोजगार देने हेतु कोई कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

6. कवासी लखमा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में नक्सली समस्या के निराकरण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लगातार बढ़ती कीमतों के कारण बढ़ रही महंगाई को रोकने का उल्लेख नहीं है।
3. लघु वनोपज के समर्थन मूल्य में कटौती के कारण आदिवासियों की हो रही परेशानियों को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
4. वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में समुचित विकास करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
5. पोलावरम बांध परियोजना से प्रभावित सुकमा जिले के प्रभावितों के हितों की रक्षा करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. जांजगीर–नैला नगर पालिका में हाट बाजार योजना का शीघ्र क्रियान्वयन करने का उल्लेख नहीं है।
2. जांजगीर–चांपा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित खस्ताहाल सड़क मार्गों की मरम्मत कराने का उल्लेख नहीं है।
3. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र की नवागढ़ नगर पंचायत में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का नवीन भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
4. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड मुख्यालय नवागढ़ के कोकड़ी नाला पर एनीकट/स्टापडेम निर्माण करने में सरकार असफल रही है।
5. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुदरी बैराज में सौंदर्यीकरण कराने में सरकार असफल रही है।
6. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खोखरा सहित अनेक ग्रामों में लाईन पोल विस्तार करने में सरकार असफल रही है।
7. जांजगीर–चांपा जिले के नगरीय निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (कचरा प्रबंधन) की स्थायी व्यवस्था कराने में सरकार असफल रही है।
8. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना को जांजगीर–चांपा जिले में प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
9. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत नवागढ़ विकासखण्ड के विधायक आदर्श गौरव ग्राम सेमरा की शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल में अहाता निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में संचालित चिटफंड कम्पनियों से निवेशकों की राशि वापस दिलाने में सरकार असफल रही है।
11. नगरपालिका जांजगीर नैला में जल आवर्धन योजना अंतर्गत निर्मित टंकी से जल आपूर्ति ग्यारह वर्ष पश्चात् भी प्रारंभ कराने में सरकार असफल रही है।
12. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय नवागढ़ में एम.डी.एम राजस्व कार्यालय प्रारंभ कराने में सरकार असफल रही है।
13. जिला जांजगीर–चांपा में जिला अस्पताल में बर्न यूनिट का समुचित संचालन एवं सिटी स्केन सुविधा आरंभ कराने में सरकार असफल रही है।

14. चाम्पा नगर में कन्या महाविद्यालय खोलने में सरकार असफल रही है।
15. जांजगीर–चांपा जिले के सर्वाधिक आबादी वाले नगर चाम्पा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी चाम्पा नगर में आई.टी.आई. की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. मड़वा से लछनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क अत्यंत जर्जर है निर्माण कराने में सरकार असफल रही है।
17. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के नवागढ़ विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत उदयभांठा के आश्रित ग्राम पर्थरा में गंभीर पेयजल समस्या के निराकरण करने में सरकार असफल रही है।
18. ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रस्तावित चांपा का हैण्डलूम पार्क प्रारंभ करने में सरकार असफल रही है।
19. चांपा एवं छुईखदान में ग्रामोद्योग विभाग स्वीकृत सी.एफ.सी. निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
20. कोसा क्षेत्र के बुनकरों को रोजगार दिलाने में सरकार असफल रही है।
21. बुनकरों को बोनस दिलाने में सरकार असफल रही है।
22. चाम्पा नगर का गंदा पानी हसदो नदी पर प्रवाहित होने से नगरवासियों को पेयजल की किल्लत दूर करने हसदो कोरीडोर योजना के क्रियान्वयन कराने में सरकार असफल रही है।
23. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र में बर्न यूनिट की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
24. चांपा में बुनकरों के आवास निर्माण कराने में सरकार असफल रही है।
25. जांजगीर–चांपा फोरलेन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने में सरकार असफल रही है।
26. भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा में डिग्री कोर्स आरंभ कराने में सरकार असफल रही है।
27. नगरपालिका जांजगीर नैला में जल आवर्धन योजना अंतर्गत निर्मित टंकी से जल आपूर्ति प्रारंभ कराने में सरकार असफल रही है।
28. प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित टमाटर एवं सब्जी हेतु उचित मूल्य के बाजार की कमी तथा प्रोसेसिंग यूनिट कमी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
29. जांजगीर–चांपा जिले मड़वा पावर प्लांट में लक्ष्य से दुगुने लागत पश्चात् भी क्षमता अनुरूप विद्युत उत्पादन कराने में सरकार असफल रही है।
30. ग्राम नवापारा (अमोदा) में गंभीर पेयजल संकट को दूर करने हेतु नल–जल योजना के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

31. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बुड़ेना विकासखण्ड नवागढ़ के नये तालाब के पास बसाहट में विद्युतीकरण कराने का उल्लेख नहीं है।
32. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धाराशिव (रोगदा) विकासखण्ड नवागढ़ में खाद गोदाम निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
33. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चाम्पा नगर में प्रवाहित गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था कराने का उल्लेख नहीं है।
34. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बोड़सरा के जनजाति बाहुल्य खैरवार पारा मोहल्ले में स्थित मधीर तालाब का गहरीकरण एवं दो पचरी निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
35. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बोड़सरा के खैरवार पारा शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
36. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत सिवनी (नैला) में पेयजल संकट दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।
37. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कर्रा की संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
38. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत नवापारा की संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
39. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बरबसपुर की संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
40. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदी (हरि) विकासखण्ड नवागढ़ के हड़हामुहान की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
41. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत करमंदी में पंचायत भवन के सामने पुलिया निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
42. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा के ग्राम पंचायत कुदरी से मड़वा पहुंच मार्ग निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

43. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ की ग्राम पंचायत कन्हाईबन में करही झगरही से बनारी तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क सह पुलिया निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

44. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत धनेली में मरखनवा तालाब के पास पुलिया निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

45. ग्राम पंचायत कुलीपोटा में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

46. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम सेन्दरी में खाद गोदाम निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

47. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बुड़ेना विकासखण्ड नवागढ़ के नये तालाब के पास बसाहट में विद्युतीकरण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

48. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ की ग्राम पंचायत नवापारा की संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने उल्लेख नहीं है।

49. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ की ग्राम पंचायत कर्रा की संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने उल्लेख नहीं है।

50. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ की ग्राम पंचायत बोड़सरा के खैरवार पारा शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने उल्लेख नहीं है।

51. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा की ग्राम लछनपुर के मुख्यमार्ग से रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास से होते हुए मड़वा, तेंदूभांठा होते करमंदी तक सड़क मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करने उल्लेख नहीं है।

52. हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा के डगनिया बांध से रिसाव के कारण हसदेव नदी के प्रदूषित होने से रोकने में सरकार विफल रही है।

53. जांजगीर–चांपा जिले से अन्यत्र पलायन करने वाले श्रमिकों को रोकपाने में सरकार विफल रही है।

54. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के चांपा नगर डोंगाघाट, तपसीबाबा घाट तथा कुदरी बैराज में सौंदर्यीकरण करने को कोई उल्लेख नहीं है।

55. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र की ऐतिहासिक ग्राम पंचायत एवं पर्यटन स्थल पीथमपुर में विकास कार्य कराये जाने उल्लेख नहीं है।

56. चांपा नगर में हसदेव नदी पर नेशनल हाईवे क्रमांक 49 पर स्थित गेमन पुल की केन्द्र शासन से सेतु भारतम प्रोजेक्ट के तहत समुचित मरम्मत एवं प्रकाश व्यवस्था कराने का उल्लेख नहीं है।

57. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र चांपा नगर में हसदेव नदी पर नवीन पुल निर्माण करने उल्लेख नहीं है।

58. विधायक कालोनी पुरैना, रायपुर में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

59. जांजगीर–चांपा जिले के चांपा शहर में फिटनेस और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ करने उल्लेख नहीं है।

60. नवागढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सरखों में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का नवीन भवन निर्माण करने का उल्लेख नही है।

61. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के नवीन उन्नयित शालाओं (पीथमपुर, धाराशिव, रोगदा) में व्याख्याता, शिक्षक, भृत्य एवं स्टाफ की व्यवस्था कराने में सरकार असफल रही है।

62. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के चांपा शहर में महिला थाना प्रारंभ करने में सरकार असफल रही है।

63. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम पंचायत भैंसमुड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराने उल्लेख नहीं है।

64. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिरगहनी (च) से देवरहा होते हुए पीथमपुर तक की जर्जर सड़क मार्ग का पुनर्निर्माण करने उल्लेख नहीं है।

65. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के शहर चांपा के मोहल्ला कोटाडबरी में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने उल्लेख नहीं है।

66. ग्राम पंचायत तेन्दूभाठा की हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी शाला में उन्नयन कराने का उल्लेख नहीं है।

67. ग्राम पंचायत सुकली की हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी शाला में उन्नयन कराने का उल्लेख नहीं है।

68. ग्राम पंचायत कुटरा की हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी शाला में उन्नयन कराने का उल्लेख नहीं है।

69. ग्राम पंचायत सिंउड की हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी शाला में उन्नयन कराने का उल्लेख नहीं है।

70. ग्राम पंचायत बिरगहनी की हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी शाला में उन्नयन कराने का उल्लेख नहीं है।

71. ग्राम पंचायत पिसौद की हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी शाला में उन्नयन कराने का उल्लेख नहीं है।

72. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम पंचायत खोखसा, अवरीद, भैंसमुड़ी, भड़ेसर एवं खोखसा अपने ग्रामों में धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने धान केन्द्र प्रारंभ कराने का उल्लेख नहीं है।

73. जांजगीर–चांपा जिले के बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल शासकीय जिला चिकित्सालय में मरच्युरी की व्यवस्था कराने का उल्लेख नहीं है।

74. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम पंचायत दहिदा की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन कराने का उल्लेख नहीं है।

75. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के नगर पंचायत की नियमित आपूर्ति के लिये जल आवर्धन योजना प्रारंभ कराने का उल्लेख नहीं है।

76. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के चांपा स्थित भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

77. नवागढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत रोगदा के गतवापारा स्थित नवीन शासकीय प्राथमिक शाला के जर्जर भवन के स्थान पर जिला खनिज फाउंडेशन मद से नवीन भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं हैं ।

78. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम दर्री से महंत के बीच गाड़ाघाट में स्टापडेम सह पुलिया निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

79. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम पथर्रा से पेन्ड्री तक 3 कि. मी. कच्ची सड़क के स्थान पर पक्की सड़क निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

80. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम कोटिया के चिटकी नाला में एनीकट सह पुलिया निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

81. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ की ग्राम पंचायत दहिदा से नवापारा तक सड़क एवं पुलिया निर्माण तथा ग्राम पंचायत हरदी (हरि) के हड़हामुहान से नवापारा तक सड़क निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

82. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ की ग्राम पंचायत रोगदा के नहर पारा में हाईस्कूल का नवीन भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

83. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ की ग्राम पंचायत किरीत में कोकड़ीनाला में स्टापडेम सह पुलिया निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

84. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ की ग्राम पंचायत भड़ेसर में खाद्य और बीज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

85. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बिरगहनी–रोगदा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम पंचायत मौहाडीह और गौद के किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

86. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ की ग्राम चोरभठ्ठी में नल–जल योजना प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

87. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ की ग्राम पंचायत दहिदा से विकासखण्ड मुख्यालय बन्हनीनडीह तक हसदेव नदी पर एनीकट निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

88. ग्राम पंचायत कुलीपोटा में माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

89. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।

90. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चांपा 500 x 2 ताप विद्युत परियोजना तेंदूभाठा मड़वा के संयंत्र स्थापना से भूविस्थापित सभी परिवारों को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।

91. जांजगीर–चांपा जिले के बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल शासकीय जिला चिकित्सालय जांजगीर में सिकल सेल बीमारी का परीक्षण एवं इलाज की सुविधा कराने का उल्लेख नहीं है।

92. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जांजगीर एवं चांपा के मध्य खोखसा रेल समपार तथा चांपा रेल्वे स्टेशन के समीप बिर्रा रेल्वे समपार पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण उच्च गुणवत्ता से कराने का उल्लेख नहीं है।

93. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम कोटिया में मुक्तिधाम एवं प्राथमिक शाला का नवीन भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

94. चांपा नगर की वर्ष 2008 से स्वीकृत एवं निर्माणाधीन नल–जल योजना को पूर्ण कराने में सरकार असफल रही है।

95. औद्योगिक नगरी चांपा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

96. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम पीथमपुर के मेन गेट से कलेश्वरनाथ मंदिर तक टू–लेन सड़क निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. जिला उत्तर बस्तर कांकेर में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित शौचालय गुणवत्ताविहीन है।
2. विकासखण्ड दुर्गूकोंदल अंतर्गत मुख्य मार्ग से ग्राम कोड़ेकुर्रो पहुंच मार्ग में आने वाली कोटरी नदी में पुलिया निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
3. विकासखण्ड दुर्गूकोंदल अंतर्गत मुख्य मार्ग से कोढ़ापाखा पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
4. विकासखण्ड दुर्गूकोंदल अंतर्गत मुख्य मार्ग से ग्राम कलंगपुरी से पुजारीपारा पहुंच मार्ग में सड़क एवं पुलिया निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
5. भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में रोजगार गारंटी के तहत् कराये गये कार्य के विरूद्ध लंबित देयक भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
6. विकासखण्ड कोयलीबेड़ा के ग्राम चाटगांव–मेटाबोदली में सैकड़ों वृक्षों को काटने से रोकने के उपाय करने का उल्लेख नहीं है।
7. कौशल विकास उन्नयन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिये रोजगार तथा बाजार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के केन्द्रीय तथा जिला जेल, उपजेल में बंदी गृह की क्षमता बढ़ाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र की अनेक शालाओं में खेल सामग्री प्रदान का उल्लेख नहीं है।
10. भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में प्री एवं पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
11. भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के 25–30 ग्रामों में विद्युत व्यवस्था कराने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास किए जाने का उल्लेख नहीं है ।
2. राज्य के अनेक विकासखण्ड में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है ।
3. सड़क निर्माण में गुणवत्ता का उल्लेख नहीं है ।
4. राज्य में कृषि कार्यों के लिए विद्युत शुल्क कम करने का उल्लेख नहीं है ।
5. उद्यानिकी विभाग में ड्रिपएरीगेशन के मामले में हो रहे भ्रष्टाचार रोकने का उल्लेख नहीं है ।
6. प्रदेश में अवैध उत्खनन एवं खनिज संपदा की लूट मची को रोकने का उल्लेख नहीं है ।
7. प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने एवं राजधानी में उद्योगों से निकलने वाले जहरीले प्रदूषण को रोकने का उल्लेख नहीं है ।
8. कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी संग्रहण एवं नहरों के लिए प्लान बनाये जाने का उल्लेख नहीं है ।
9. मरवाही क्षेत्र के कुदरी से झावर सड़क मार्ग का उल्लेख नहीं है ।
10. प्रदेश के शहरों में मच्छरों की समस्या विकराल है उपाय का उल्लेख नहीं है ।
11. प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा भ्रष्टाचारियों की सजा आदि के संबंध में कोई कारगर प्रावधान का उल्लेख नहीं है ।
12. नकली दवाईयों के निर्माता एवं सप्लायर पर कोई आर्थिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
13. उद्योगों द्वारा जल के उपयोग में अपव्यय पर रोक एवं उसकी मानीटरिंग के लिए उल्लेख नहीं है ।
14. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) में मूलभूत सुविधा एवं प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।
15. परिवहन विभाग के बेरियरों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है ।
16. प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।
17. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को लघु खनिजों को लीज पर उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

18. राज्य के ठेकों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का उल्लेख नहीं है ।

19. नई उद्योग नीति के तहत् दी जानी वाली सुविधाओं को शीघ्र अधिसूचित किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

20. उद्योगों से हो रहे प्रदूषण को रोकने का उल्लेख नहीं है ।

21. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है ।

22. प्रदेश के वन ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

23. दलहन, तिलहन एवं उद्यानिकी फसलों के रकबे में वृद्धि किए जाने हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।

24. कृषकों को सही समय में शासकीय अनुदान प्रदान करने के संबंध में किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं है ।

25. राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी नीति का लाभ प्रदेशवासियों को किस तरह मिलेगा इसका उल्लेख नहीं है ।

26. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों के विपणन के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

27. छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

28. सीमेंट एवं स्टील उद्योगों द्वारा लागत मूल्य से दुगुनी कीमत पर स्थानीय निवासियों को सीमेंट एवं स्टील बेचने पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है ।

29. कोरजा से पण्डरीपानी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

30. सतोकपुर (हर्राटोला) से पेण्ड्रा पहुॅंच मार्ग का उल्लेख नहीं है ।

31. कोटखर्रा से पेण्ड्रा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

32. अड़भार से बगड़ी पहुॅंच मार्ग का उल्लेख नहीं है ।

33. उमरखोई से कोटमीखुर्द पहुॅंच मार्ग का उल्लेख नहीं है ।

34. ओझा जल प्रपात ग्राम बस्ती के सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है ।

35. पौराणिक ग्राम धनपुर के पहाड़ियों को वन विभाग के माध्यम से रॉक गॉर्डन बनाने के प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है ।

36. ग्राम दमदम से खोडरी पहुॅंच मार्ग के निर्माण का पी.एम.जी.एस.वाई. की कार्य योजना में उल्लेख नहीं है ।

37. महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति में छात्र संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों को पदेन सदस्य मनोनीत करने का उल्लेख नहीं है ।

38. पेण्ड्रा में सैकड़ों वर्षों से आबादी भूमि पर बसे परिवारों को पट्टा नहीं दिए जाने के कारण प्रभावित हो रहे प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख नहीं है ।

39. मरवाही, गौरेला एवं पेण्ड्रा तहसील के 2015–16 के सूखा पीड़ित किसानों में से हजारों किसानों को मुआवजा से वंचित कर दिया गया जिसका उल्लेख नहीं है ।

40. मरवाही, पेण्ड्रा, गौरेला विकासखण्ड में स्वीकृत 5500 प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत मकानों के निर्माण के लिए रेत की आपूर्ति किस नदी से होगी ? जबकि रायल्टी पर्ची किसी भी खदान का जारी नहीं है, का उल्लेख नहीं है ।

41. मरवाही के सेमरदर्री से सकड़ पहुँच मार्ग के निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

42. सिलपहरी (मरवाही) से कोलबिर्रा पहुँच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

43. गांव–गांव में तहसीलदार द्वारा शिविर लगाकर फौती नामांतरण कराने का उल्लेख नहीं है ।

44. स्थानीय उद्योगों में राज्य के 90 प्रतिशत युवाओं को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है ।

45. मरवाही, पेण्ड्रा, गौरेला विकासखण्ड में भवनविहीन कन्या छात्रावासों के नये छात्रावास भवन बनाए जाने का उल्लेख नहीं है ।

46. छत्तीसगढ़ राज्य से रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन करने वाले मजदूरों/कामगारों को राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

47. किसानों का एक–एक दाना धान का खरीदने का उल्लेख नहीं है ।

48. विद्युतविहीन मजरे टोलों में विद्युत पहुँचा देने का उल्लेख नहीं है ।

49. छोटे खनिज पट्टे जारी कर खनिज की चोरी रोकने का उल्लेख नहीं है ।

50. राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में रखे जाने वाले वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है ।

51. कोरजा से गांगपुर सड़क के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है ।

52. नई उद्योग नीति के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का शीघ्र नोटिफिकेशन किए जाने का उल्लेख नहीं है ।

53. आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त चिकित्सकों पर नियुक्ति का उल्लेख नहीं है ।

54. शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की भर्ती का उल्लेख नहीं है ।

55. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चशिक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है ।

56. शहरों में आबादी के अनुपात में स्कूलों के संबंध में उपयुक्त योजना का उल्लेख नहीं है।

57. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत गुणवत्ताविहीन शौचालय का निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

58. वायु जल मृत पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना का उल्लेख नहीं है ।

59. किसानों के बिजली बिल माफ करने का उल्लेख नहीं है ।

60. प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज में शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु शिक्षकों की व्यवस्था तथा इण्डियन नेशनल कॉउन्सिल के मापदण्डों के अनुरूप कॉलेज संचालन किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

61. सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधा तथा गुणवत्तायुक्त उपकरण एवं इन्फेक्शन मुक्त ऑपरेशन कक्ष निर्मित कर गुणवत्ता सुधारने का उल्लेख नहीं है ।

62. राज्य के अस्पतालों में गुर्दा रोग के डायलिसिस हेतु मशीनों की पर्याप्त व्यवस्था का उल्लेख नहीं है ।

63. कृषि फसल उत्पादन में किस तरह वृद्धि होगी इसका उल्लेख नहीं है ।

64. प्रदेश में समुचित भण्डारण के उपाय का उल्लेख नहीं है ।

65. नक्सल समस्या के निराकरण का उल्लेख नहीं है ।

66. क्षेत्र के ग्राम पिपरिया विकासखण्ड मरवाही में मठ बाबा पर्यटन स्थल को विकसित करने का उल्लेख नहीं है ।

67. क्षेत्र के 3000 (तीन हजार) से अधिक आबादी वाले ग्रामों में पेयजल हेतु नल जल योजना का उल्लेख नहीं है ।

68. क्षेत्र में रह रहे विशेष पिछड़ी जन जाति बैगा जाति के अधिक विकास का उल्लेख नहीं है ।

69. क्षेत्र में उन्नत हाई स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

70. क्षेत्र में संचालित कन्या आश्रम एवं छात्रावास अधिकांश निजी भवन में संचालित है शासकीय भवन बनाए जाने का उल्लेख नहीं है ।

71. केंवची से चिरमिरी प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

72. पेण्ड्रारोड के सेनेटोरियम में निर्मित एम.सी.एच. सेन्टर को पी.पी.पी. मॉडल पर देने का उल्लेख नहीं है ।

73. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों में गेहूं, चना प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है ।

74. नसबंदी काण्ड में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा महिला चैती बाई की मौत के बाद उसके पति बुद्ध सिंह बैगा को शासकीय नौकरी दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।

75. पेण्ड्रा बाइपास सड़क निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कब प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

76. नगर पंचायत पेण्ड्रा में शासन द्वारा तय मापदण्ड से कम संख्या में स्वीपर हैं, तय मापदण्ड के अनुसार स्वीपर की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है ।

77. कुपोषित बच्चों की संख्या में छत्तीसगढ़ में वृद्धि हो रही है, कुपोषण को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है ।

78. मनरेगा के तहत जिन किसानों के खेत–बाड़ी में कुंआ निर्माण कराया गया है उन कुंओं तक सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु विद्युत लाईन विस्तार का उल्लेख नहीं है ।

79. मरवाही वन परिक्षेत्र में जामवंत परियोजना के कार्य योजना अनुसार राशि जारी करने का उल्लेख नहीं है ।

80. विधायक आदर्श ग्राम मरवाही में शासन द्वारा तय मापदण्ड के अनुसार आदर्श ग्राम बनाने का उल्लेख नहीं है ।

81. नगर पंचायत पेण्ड्रा में जल आवर्धन योजना के लिए स्वीकृत बांध/एनीकट निर्माण कार्य कब प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

82. शासकीय कार्य में फ्लाई एश ब्रिक्स लगाने की अनिवार्यता करने के बाद मिट्टी का ईंट बनाने का परम्परागत व्यवसाय करने वाले कुम्हारों की आर्थिक दशा सुधारने व रोजगार का उल्लेख नहीं है ।

83. पेण्ड्रारोड से गेवरा रेल लाईन विस्तार में वन भूमि पर काबिज वन अधिकार पत्र धारी भू–स्वामी को मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है ।

84. किरंदुल थाना क्षेत्र के ग्राम गमपुर में 28 जनवरी 2017 को भीमा कड़ती का पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में हत्या एवं उसकी साली के साथ बलात्कार करने वालों पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है ।

85. स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव गांव में शौचालय निर्माण कार्य में राशि के अभाव में सरपंच/सचिव कर्ज में डूब गये हैं जिन्हें कर्ज से उबारने का उल्लेख नहीं है ।

86. मनरेगा के तहत वर्ष 2016–17 में मरवाही, पेण्ड्रा, गौरेला में जितने भी निर्माण कार्य स्वीकृत किए गये, उनमें से किसी भी कार्य के मटेरियल की राशि का भुगतान नहीं किया गया, भुगतान करने का उल्लेख नहीं है ।

87. मनरेगा का बकाया मजदूरी राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा इसका उल्लेख नहीं है ।

88. प्रदेश के 20 लाख से भी अधिक बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार देने के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

89. शराब बंदी के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

90. मरवाही विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिवनी से मरवाही पहुॅच मार्ग के मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

91. पेण्ड्रा से बस्तीबगरा तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

92. प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटना में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

93. नक्सली खात्में के नाम पर बस्तर में फर्जी मुठभेड़ में मारे जा रहे गरीब आदिवासियों को न्याय दिलाने के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

94. 14 वर्ष पूर्व बनाए गये 92 किलोमीटर केंवची–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही–कांसबहरा कारीडोर सड़क का मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण कराए जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

95. गरीबों के काटे गये राशन कार्ड को पुनः चालू किए जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

96. गरीबों को 35 किलोग्राम चांवल प्रति राशन कार्ड देने के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

97. प्रदेश के किसानों को 2100.00 धान का समर्थन मूल्य एवं 300.00 बोनस देने का उल्लेख नहीं है ।

98. आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को उचित मुआवजा राशि देने का उल्लेख नहीं है ।

99. वन भूमि पर काबिज हजारों आदिवासी परिवारों को वन अधिकार पत्र नहीं दिया गया है उन्हें कब तक वन अधिकार पत्र दिया जाएगा इसका उल्लेख नहीं है ।

100. प्रदेश के टमाटर उत्पादक किसानों को टमाटर का उचित मूल्य दिलाने एवं टमाटर प्रोसेसिंग सेंटर टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में खोलने का उल्लेख नहीं है ।

101. शासकीय अस्पतालों में रिक्त पड़े डॉक्टर एवं स्टॉफ के पदों को भरने का उल्लेख नहीं है ।

102. शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक / हाई स्कूल / हॉयर सेकण्डरी स्कूल में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद को भरने का उल्लेख नहीं है ।

103. प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षाकर्मियों (पंचायत संवर्ग शिक्षकों) को समान काम के बदले समान वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है ।

104. प्रदेश में तालाबों के पानी को स्वच्छ एवं निस्तार के लिए उपयोगी बनाने के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

105. आबादी भूमि पर बरसों से काबिज शहरी एवं ग्रामीण लोगों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर उन्हें पट्टा देने का उल्लेख नहीं है ।

106. मॉडल स्कूलों का निजीकरण एवं शराब दुकानों का शासकीयकरण किस उद्देश्य से किया जा रहा है, के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

107. पेण्ड्रा, मरवाही जैसे अनुसूचित क्षेत्र जहां गिट्टी, रेत, मुरूम के एक भी खदान स्वीकृत नहीं हैं, वहां निर्माण कार्यों के लिए उपरोक्त सामग्री की उपलब्धता का उल्लेख नहीं है ।

108. बिलासपुर संभाग अंतर्गत हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए कारगर योजना का उल्लेख नहीं है ।

109. कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है ।

110. कृषकों को फसल बीमा राशि भुगतान का उल्लेख नहीं है ।

111. राज्य में महिला सशक्तिकरण की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है ।

112. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास हेतु कोई कारगर योजना का उल्लेख नहीं है ।

113. राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनांतर्गत हसदेव नदी से अरपा नदी को जोड़ने का उल्लेख नहीं है ।

114. ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के खेलने हेतु खेल मैदान बनाने या स्टेडियम बनाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।

115. पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है ।

116. आदिवासी परियोजना में 100 प्रतिशत अनुदान वाले ट्यूबवेल की पेण्ड्रा, गौरेला एवं मरवाही के किसानों के लिये घोषणा की गई थी, पूर्ण किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

117. दानीकुण्डी से भर्रीडांड तक सड़क का नवीनीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

118. सिलपहरी से बरगवां तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

119. माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौरसिया बांध में मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी, बनायी जाने का उल्लेख नहीं है ।

120. पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही विकासखंड में बनाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आरंभ करने एवं डॉक्टर की पदस्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

121. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पेण्ड्रा में 30 बिस्तर अस्पताल अभी तक नहीं बना है, निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

122. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरेला में प्रस्तावित ब्लड बैंक प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

123. मरवाही विकासखंड के पौराणिक नगरी धनपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी थी, पूर्ण किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

124. प्रदेश में जितने भी किसान ट्येबवेल एवं कुंओं से सिंचाई पम्प का अस्थायी कनेक्शन ले रहे हैं उन ट्यूबवेल एवं कुंओं तक स्थाई पम्प कनेक्शन देने का उल्लेख नहीं है ।

125. पेण्ड्रा में कन्या हाई स्कूल भवन निर्माण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी थी, घोषणा पूर्ण किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

126. पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही जनपद में बोले गये स्वान केन्द्रों की शुरूवात किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

127. पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही विकासखंड के गांवों में बनाये गये राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को इन्टरनेट से जोड़ने का उल्लेख नहीं है ।

128. पेण्ड्रा, गौरेला एवं मरवाही में स्टेडियम निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

129. पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक परिक्षेत्र की स्थापना का उल्लेख नहीं है ।

10. श्री भोलाराम साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का निदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में अमृत दूध योजना के सफल संचालन करने में सरकार असफल रही है।
3. प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम करने में सरकार असफल रही है।
4. आंगनबाड़ी कार्यकताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में बालिका शिक्षा मुफ्त दिलाये जाने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में हत्या, डकैती, महिला उत्पीड़न जैसे अपराध की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण सड़क, नाली, पुलिया, भवन इत्यादि निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
8. किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में 300 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. किसानों के समर्थन मूल्य धान खरीदी 2100/– प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में पी.डी.एस. के खाद्यान्नों की कालाबाजारी रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
11. ग्राम–कूही खुर्द, विकासखण्ड छुरिया, जिला–राजनांदगांव में 33/11 के.वी. को सब स्टेशन बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
12. ग्राम करमरी में 33/11 के.वी. को सब स्टेशन बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
13. ग्राम धनगांव, विकासखण्ड छुरिया में धान खरीदी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
14. हालेकेषा एवं कुकरीटोला के बीच नाले पर पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
15. नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में स्टेडियम निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. ग्राम–अमरवाही, विकासखण्ड छुरिया, जिला–राजनांदगांव में शासकीय महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
17. ग्राम सोनवाटी टोला से पारा टोला जाने वाले मार्ग में पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
18. आई.टी.वी.पी. जोब में वनों की अवैध कटाई को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
20. ग्राम–गैंदाटोला, विकासखण्ड–छुरिया, जिला–राजनांदगांव में शासकीय महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत 300 फिट से अधिक खनन किये जाने हेतु नलकूपों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
2. विधान सभा क्षेत्र बस्तर–85 अंतर्गत महिला (कन्या) आई.टी.आई. प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. जिला बस्तर अंतर्गत लौह अयस्क लोडिंग–अनलोडिंग से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के ग्रामीण उपभोक्ताओं से अधिक बिजली बिल वसूला जा रहा है, नियंत्रण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत विकासखण्ड बकावण्ड एवं बस्तर के अनेक ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
6. किसानों द्वारा उत्पादित सभी धान को समर्थन मूल्य में खरीदने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुल–पुलिया के निर्माण करने का उल्लेख नही है।
8. प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है, पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
9. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत बकावण्ड चौकी व बस्तर चौकी उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में कुपोषण दूर करने एवं गुणवत्तायुक्त पोषण आहार वितरण करने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में व्याप्त अफसरशाही को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के कृषकों को उन्नत बीज एवं समय पर पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास करने का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में दिन–प्रतिदिन भू–जल में हो रही गिरावट को दूर करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खन्न एवं परिवहन की रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।
17. जिला–बस्तर अंतर्गत छात्रावास/आश्रम भवनों की मरम्मत व जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।

18. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत स्टापडेम के रख–रखाव व मरम्मत करने का कोई उल्लेख नहीं है।

19. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विकासखण्ड बस्तर व बकावंड अंतर्गत आवागमन हेतु सड़कों व पुलियों के निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

20. उद्योगों में लगे मजदूरों के हितों का संरक्षण करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

21. केन्द्र की विद्युतीकरण की नीति को छोटे उद्योगों में लगे मजदूर बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गये, जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

22. वनों की अवैध कटाई को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

23. विद्युत दरों एवं सुरक्षा प्रभार में बढ़ोत्तरी करने से आम जनता परेशान है। नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।

24. समर्थन मूल्य पर 2100/– धान खरीदी एवं 300/– बोनस दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

25. बस्तर संभाग अंतर्गत हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

26. प्रदेश मनरेगा के तहत् लंबित मजदूरी भुगतान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

27. सूखे से प्रभावित किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

28. प्रदेश में नक्सली समस्या के निराकरण करने का उल्लेख नहीं है।

29. बस्तर संभाग अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

30. बस्तर जिले अंतर्गत अनेक गांवों, मजरो–टोलो में विद्युतीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

31. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में फोर्स द्वारा महिलाओं पर किये जा रहे अत्याचार को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

32. बस्तर जिले में सिंचित रकबा क्षेत्र बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

33. प्रदेश में रोजगार के अभाव के चलते विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों/ग्रामीणों के अन्य राज्य में पलायन को रोकने का उल्लेख नहीं है।

34. बस्तर अंचल में चिटफंड कम्पनी एवं अन्य फर्जी कम्पनियों पर नियंत्रण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

35. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत पेयजल की समस्या से निजात पाने के उपाय करने में सरकार विफल रही है।

36. शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन हेतु विकासखण्ड बस्तर मुख्यालय में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

37. प्रदेश के कृषकों को निःशुल्क विद्युत सेवा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के किसानों को धान का 300 रूपये बोनस भुगतान करने का उल्लेख नहीं है ।
2. प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।
3. प्रदेश के स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
4. प्रदेश में गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।
5. प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
6. प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त जीवन रक्षक दवाईयों की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
7. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के संबंध में योजना का उल्लेख नहीं है ।
8. प्रदेश में गुणवत्तायुक्त सड़क नालियां, पुल–पुलिया निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के प्रशासनिक अमले में व्याप्त भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है ।
10. सरगुजा संभाग के अन्तर्गत जिलों से अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है ।
11. सरगुजा संभाग के जिलों से प्रदेश के बाहर गौण खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है ।
12. प्रदेश के कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के कुपोषण नियंत्रण के उपायों का उल्लेख नहीं है ।
13. प्रदेश में हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण जैसे अपराधों के नियंत्रण हेतु कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है ।
14. प्रदेश में पी.डी.एस. के खाद्यान्नों की कालाबाजारी रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है ।
15. प्रदेश के उद्योंगों में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को नियोजित करने के उपायों का उल्लेख नहीं है ।
16. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती एवं लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण का उल्लेख नहीं है ।
17. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण एवं विद्युत व्यवस्था उपलब्ध किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

18. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री के नियंत्रण किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
19. प्रदेश के आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के उपायों का उल्लेख नहीं है ।
20. पी.डी.एस. के खाद्यान्नों की लगातार हो रही कालाबाजारी नियंत्रण का उल्लेख नहीं है ।
21. प्रदेश के गरीबों हेतु संचालित योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने की योजना का उल्लेख नहीं है ।
22. प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को स्थानीय स्तर पर सम्मान दिलाने का उल्लेख नहीं है ।
23. प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
24. प्रदेश के पुलिस थानों में स्वीकृत पदों के अनुरूप सुरक्षा बलों की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
25. प्रदेश की शासकीय विभागों में प्रभारवाद को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है ।
26. प्रदेश के पुरातात्विक संग्राहलयों एवं आस्था केन्द्रों की सुरक्षा करने का उल्लेख नहीं है ।
27. प्रदेश के वनों की अवैध कटाई को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है ।
28. प्रदेश के ग्राम पंचायतों में मनरेगा की नियमित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश में लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2016–17 में धान खरीदी करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में पंजीकृत समस्त किसानों की धान को खरीदने का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश के स्कूलों में आवश्यकता अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश के स्कूलों में पंजीकृत विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पड़े पदों की पूर्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश के आई.टी.आई. में प्रशिक्षित अधिकारियों के स्वीकृत पदो ंके अनुरूप नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
35. प्रदेश में चिटफण्ड कंपनियों द्वारा लगातार की जा रही धोखाधड़ी की रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है ।

13. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के वृद्धजनों को पिछले 10 वर्षों से उनका नाम सर्वे सूची में शामिल नहीं होने के कारण निशक्त पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, राहत राशि नहीं मिल पा रही है । उन वृद्धजनों को निशक्त पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, राहत राशि प्रदान किये जाने की कोई योजना नहीं है।
2. प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से संविदा , दैनिक वेतन भोगी व कलेक्टर दर पर आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को उनके विभागीय रिक्त पड़े अथवा नवीन पद अथवा पद सृजित कर नियमित किये जाने की कोई योजना नहीं है।
3. प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के रेलमार्गों पर स्थित सड़कों के संबंध में अनेकों मांग प्रस्ताव, अनुरोध के बावजूद ओव्हर ब्रिज, अण्डरब्रिज निर्माण कार्य करने के प्रस्तावों पर स्वीकृति की कोई योजना नहीं है।
4. प्रदेश के धुर नक्सल प्रभावित जिलों तथा वहां के ब्लॉक मुख्यालयों में चिकित्सकों व चिकित्सा विशेषज्ञों की पूर्ति हेतु कोई सार्थक योजना के उपाय नहीं है ।
5. प्रदेश में पर्यटकों हेतु निर्मित मोटल के संरक्षण, सुरक्षा के कोई उपाय नहीं हैं, साथ ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षित–प्रशिक्षित बेरोजगार व पंजीकृत युवाओं के लिये भी कोई रोजगार की व्यवस्था के उपाय नहीं है।
6. प्रदेश के प्राचीन धरोहरों, संस्कृतियों, धार्मिक स्थलों, मूर्तियों, भवनों के संरक्षण व रख–रखाव व सुरक्षा के कोई स्थायी उपाय योजना का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में प्रकृति निर्मित वास्तवित वनस्थलों के सौंदर्यीकरण रखरखाव तथा संवर्धन व संरक्षण पर कोई कार्ययोजना प्रस्तावित नहीं है, मानव निर्मित रिक्त सैकड़ों एकड़ भूमि पर वैकल्पिक व अस्थायी वन निर्माण के साथ शासन के धन संपदा के बचाव रक्षा पर भी कोई योजना नहीं है।
8. प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो लगातार 20 वर्षों से भी अधिक समय से इस पद पर काम कर रही हैं, शिक्षित व प्रशिक्षित हैं तथा सभी विभागीय नियमों को जानती हैं, प्रशिक्षु पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत कर प्रोत्साहित करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

9. प्रदेश में हायर सेफ्टी व आपदा प्रबंधन में देश की उच्चतम संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त डिप्लोमा होल्डर्स व इंजीनियर्स जिनका रोजगार पंजीयन कार्यालय में पिछले 10 वर्षों से पंजीयन हुआ है, को रोजगार (शासन स्तर पर अथवा निजी उपक्रमों व सार्वजनिक उपक्रमों स्तर पर) प्रदान किये जाने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

10. प्रदेश सरकार के द्वारा तकनीकी प्रशिक्षित (आई टी आई / डिप्लोमाधारियों) बेरोजगार पात्र युवाओं को जिन्होंने रोजगार कार्यालय में स्वयं का पिछले 10 वर्षों से पंजीयन कराया हुआ है। उनके लिए स्थायी रोजगार शासन के विभागों, उपक्रमों में उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के किसानों को घोषणा के अनुरूप धान के समर्थन मूल्य पर 300 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य रूपये 2100/– प्रति क्विंटल देने में सरकार विफल रही है।
3. प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के नियंत्रण करने में सरकार असफल रही है।
4. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के नियंत्रण में सरकार असफल रही है।
5. प्रदेश में नक्सली समस्या का नियंत्रण करने में सरकार असफल रही है।
6. प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है।
7. प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों एवं दवाईयों की समुचित व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान दिलाने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में पी.डी.एस. द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी के नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

15. श्री दीपक बैज, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं बस्तर विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों एवं अन्य स्टाफ की कमी है। पूर्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश की शालाओं में संसाधनों तथा स्टाफ की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के प्राचीन एवं पुरातत्व धरोहरों के रख–रखाव उचित ढंग से करने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में किसानों को ट्यूब वेल खनन पश्चात् अस्थायी/स्थाई बिजली कनेक्शन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों एवं अन्य पंचायत कर्मियों की पदोन्नति, क्रमोन्नति एवं अन्य समस्या को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के छात्रावास एवं आश्रम शालाओं के भवन की मरम्मत एवं अन्य आवश्यकताओं की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
8. स्टापडेम मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।
9. मनरेगा के तहत् प्रदेश में लंबित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के किसानों को धान का बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

16. डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि किए जाने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में जंगली जानवरों के कारण बढ़ती जनधन हानी को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में व्याप्त प्रदूषण को दूर करने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के किसानों को धान की फसल पर 300/–रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में शराबबंदी हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

17. श्री उमेश पटेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीनीकरण एवं सही क्रियान्वयन करने का उल्लेख नहीं है।
2. जिला मुख्यालय रायगढ़ में सिटी बस संचालन समयावधि में करने का उल्लेख नहीं है।
3. प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
4. स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रही गंभीर लापरवाहियों को रोकने का उल्लेख नहीं है।
5. शिक्षा कर्मियों का संविलियन एवं समय पर वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से दूर है। सही समय पर पूर्ण करने एवं सब्सिडी प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
7. समर्थन मूल्य में धान खरीदी में बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
9. शिक्षाकर्मियों की नियमित वेतनमान तथा अतिशेष शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में दूषित जल के शुद्धिकरण एवं जल स्त्रोत बढ़ाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
11. शौचालय निर्माण में अनियमितता एवं विलंब से भुगतान किया जा रहा है जिसे रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

18. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में गृह निर्माण मंडल द्वारा कई स्थानों पर कॉलोनियां तो बसा दी गई हैं, लेकिन सड़कों पर सीसी रोड नहीं हैं, सीसी रोड निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में गरीबों को उज्जवला योजना के तहत गैस का वितरण तो सस्ते दर पर किया गया है, लेकिन उसकी रिफिलिंग किस दर पर की जाएगी, इसका उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में नक्सलियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स में लगभग 1000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी, भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में शिक्षा का स्तर चरमराया हुआ है। शिक्षा का स्तर सुधारने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में संचालित स्कूलों में कई के भवन नहीं हैं, ऐसे भवनविहीन स्कूलों के भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में महतारी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कई प्रकार की खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए लेबोरेट्री निर्माण का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में दुर्घटना व प्रसूति के लिए 108 एवं 102 वाहन चलाये तो जा रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वाहन ना होने के कारण वाहनों के इंतजार में लोगों की मृत्यु हो रही है, पर्याप्त वाहन चलाये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में डिजिटल योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को ई–प्रणाली योजना से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायतों में कार्यरत् ऑपरेटरों को हटा दिया गया है, उन्हें वापस लिये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश निर्माण से आज तक किसी भी बड़े उद्योग समूह द्वारा प्रदेश में उद्यग लगाने में कोई रूचि नहीं दिखाई है और ना ही उद्योग स्थापित किया गया है। बड़े उद्योग स्थापित कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में उपस्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये हैं, जो नर्सों के भरोसे चल रहे हैं। उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण करने एवं वहां चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत डामरीकृत मार्ग जो अत्यंत जर्जर हो चुके हैं, उनकी मरम्मत या नये मार्ग निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

12. प्रदेश के ग्रामों में मुख्य मूलभूत सुविधाएं जैसे मुक्तिधाम हेतु शेड निर्माण एवं नाली निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

13. प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत संपादित कार्यों की मजदूरी का भुगतान जिला व जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है, लेकिन पूरी राशि मजदूरों तक नहीं पहुंच पाती है, मजदूरी का समय पर भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

14. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित प्रदेश के स्कूलों में अहाता निर्माण किये जाने के बाद भी उसका भुगतान पंचायतों को नहीं किया गया है। भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

15. प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी को पूर्ण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

16. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीनों को योजना से लाभान्वित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

17. प्रदेश के कृषकों से धान खरीदी हेतु निर्धारित समय सीमा में धान नहीं खरीदे जाने से वंचित किसानों का धान पुनः खरीदे जाने का उल्लेख नहीं है।

18. प्रदेश के शहरों एवं ग्रामों को शौचमुक्त किये जाने की योजना के तहत समय पर शौचालय निर्माण हेतु समय पर राशि का भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश के कुछ शहरों में सीटीबस सेवा प्रारंभ हुई है, लेकिन जिन शहरों में सिटीबस सेवा प्रारंभ नहीं हुई हैं वहां यह सेवा प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश में मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना के तहत गारंटी सीमा से पहले खराब होने वाले लैंपों को बदलने की योजना का उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालनकर्ताओं को भारत सरकार के आदेशानुसार निर्धारित कमीशन नहीं दिया जा रहा है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालनकों को निर्धारित कमीशन समय पर दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश की तहसीलों में कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण का उल्लेख है, किन्तु पूर्व में बने आवास, जो जर्जर हो चुके हैं, का संधारण उचित रूप से किये जाने का उल्लेख नहीं है।

23. प्रदेश में विधायकों के नाम से विधायक आदर्श ग्राम तो बनाये गये हैं, लेकिन इन ग्रामों के विकास या उनको अन्य सुविधा प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश में प्रतिवर्ष धान का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, किन्तु किसानों से उत्पादन के एवज में पर्याप्त मात्रा में धान खरीदने एवं घोषित बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

25. प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण व संसाधन दिये जाने एवं उनको प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करने के लिए तहसील या जिला स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का उल्लेख नहीं है। साथ ही समय–समय पर खेलों का आयोजन किये जाने का भी उल्लेख नहीं है।

26. प्रदेश में राज्य गठन से कार्यरत् दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने या उन्हें पृथक से कोई अन्य भत्ता दिये जाने का का उल्लेख नहीं है।

27. प्रदेश के ऐसे अत्यंत गरीब परिवार, जिनका नाम गरीबी रेखा के नीचे की सूची में नहीं है, को सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत निराश्रित पेंशन देना आवश्यक है, को सहायता देने का उल्लेख नहीं है।

28. प्रदेश में विकलांगों के लिए आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र तो खोले गए हैं, किन्तु वहां पर अध्ययनरत् विकलांग बच्चों को सुविधाओं के प्रति ध्यान देने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

19. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. प्रदेश में सरल एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
2. कुपोषण की रोकथाम हेतु कोई कारगर उपाय करने का उल्लेख नहीं है ।
3. प्रदेश में नक्सली घटनाओं के रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. किसानों के हितों के विरूद्ध जलाशय सहित अन्य सुविधाओं के विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
5. वनोपज के समर्थन मूल्य बढ़ाने को कोई उल्लेख नहीं है।
6. बढ़ती मंहगाई के नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। रोकने के उपाय करने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती एवं लो–वोल्टेज की समस्या का निराकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के किसानों को धान का बोनस रूपये 300 प्रति क्विंटल प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में गुणवत्तायुक्त सड़कों एवं पुल–पुलियों के निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में नोटबंदी के बाद हो रहे मजूदरों के पलायन के रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में रिक्त पड़े चिकित्सकों एवं अस्पताल कर्मियों के रिक्त पड़े पदों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश की शिक्षाा की गुणवत्ता के सुधार हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

20. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के मजदूरों को समयावधि में मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्थापना का उल्लेख नहीं हैं।
4. प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100/– प्रति क्विंटल देने का उल्लेख नहीं है।
5. शिक्षा के गुणवत्ता सुधार हेतु कोई कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।
6. जीरो पॉवर कट का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
9. कुम्हारी जलाशय में गंगरेल बांध का पानी लाए जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
10. उप तहसील सुहेला में शासकीय महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
11. छुईहा जलाशय गहरीकरण/सौन्दर्यीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में विकास कार्यों को समय पर प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
13. 2016–17 में प्रस्तावित कार्यो के आबंटन एवं कार्य प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रधानमंत्री जनधन योजना में राज्य शासन द्वारा घोषणानुरूप सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं के बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के किसानों की कृषि संबंधी समस्या के निराकरण का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के वनों के संरक्षण का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश के वनों में हो रही अवैध कटाई को रोकने का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री रोकने का उल्लेख नहीं है।
23. शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों में भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश में प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को रोकने का उल्लेख नहीं है।

21. श्री मोहन मरकाम, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. किसानों को द्विफसली फसल लेने हेतु नलकूप के लिए बिजली प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के किसानों द्वारा केसीसी से लिए गए ऋण को न चुका पाने के कारण किए जा रहे आत्महत्या को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
3. कोण्डागांव जिले में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु भागीरथी योजना के अंतर्गत कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
4. कोण्डागांव जिले की सिंचाई का प्रतिशत बढ़ाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
5. कोण्डागांव विकासखंड में झरिया से पानी पीने की शिकायत का निराकरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
6. कोण्डागांव जिले में इंदिरा आवास योजना के हितग्राहियों को द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि का वितरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
7. जिला कोण्डागांव में सिटी बस परियोजना के आवश्यकतानुसार रास्ते पर सुचारू रूप से संचालन का उल्लेख नहीं है।
8. रायपुर शहर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में वायु प्रदुषण के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
9. बस्तर वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत माताओं को कुपोषण से मुक्ति हेतु सुविधाओं का उल्लेख नहीं है।
11. शालाओं में राष्ट्रीय मानक के अनुसार शिक्षकों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
12. शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु विज्ञान विषय के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कर्यो में पृथक रखे जाने का उल्लेख नहीं है।
13. फर्जी नक्सली मुठभेड की घटनाओं में आम नागरिको की हो रही हत्या को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
14. आवासीय विद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु समुचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
15. अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को वन अधिकार पट्टा दिये जाने में हो रहे भेदभाव को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

16. कोण्डागांव जिला के सुदूर अंचल में मोबाइल नेटवर्क टॉवर स्थापित कर ग्रामीण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लाभ प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के देवस्थान, मंदिर व पुरातात्विक धरोहर के रखरखाव/सुरक्षा हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
18. कोण्डागांव के माकड़ी विकासखंड में बीजापुर क्षेत्र में 33 के.व्ही. उप केन्द्र की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
19. विकासखंड माकड़ी के 17 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
20. कोण्डागांव जिले के माकड़ी विकासखंड में शासकीय महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
21. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ओ.डी.एफ. ग्रामों में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में जिला खनिज न्यास निधि से छात्रावास/आश्रमों में जीर्णोद्धार कार्य के जरीए राशि की हो रही बंदरबाट को रोकने का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश के किसानों को घोषणा अनुरूप धान का समर्थन मूल्य 2100/- प्रति क्विंटल व बोनस 300/- प्रति क्विंटल दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
24. बस्तर के आदिवासियों को वनोपज एवं अन्य परम्परागत रूप से निवासियों को वास्तविक मूल्य प्रदान करने में सरकार असफल रही है।
25. प्रदेश में खरीफ व रबी की फसल के औसत उत्पादन को बढ़ाने हेतु छोटे कृषकों को आधुनिक कृषि के क्षेत्र में जागरूक करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

22. श्री रामदयाल उइके, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. ग्राम धनपारा से बाटीबगरा 12 किमी. सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
2. ग्राम अरसियां से नवापारा पहुंचविहीन ग्राम तक 11 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
3. पहुंचविहीन गांव उडान से भुकवा तक 14 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
4. ग्राम माचाडोली से वोड़ानाला, ग्राम भजनी से सखोदा एवं ग्राम साखो से टिहरी तक सड़क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
5. ग्राम लालभरिया ग्राम पंचायत लैंजी के पाण्डों बस्ती में शुद्ध पेयजल हेतु हैंडपंप की व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।
6. ग्राम पंचायत कुम्हारी दर्री के 312 लोगों को वन अधिकार पट्टा दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
7. जनधन योजना का लाभ दुर्घटना से मृत परिवारों के उत्तराधिकारियों को दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में मनरेगा के निर्माण कार्यो की मजदूरी भुगतान किए का उल्लेख नहीं है।
9. ग्राम साखों में नवीन हाईस्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
10. दुर्घटना से मृतक परिवारों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने का उल्लेख नहीं है।
11. विकासखंड पोड़ी उपरोडा के ग्राम मोरगा में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
12. विधायक आदर्श ग्राम मनके से दर्रीपारा के बीच हसदेव नदी पर वृहद पुल निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
13. ग्राम पंचायत हजाक के आश्रित ग्राम बिंझवार पारा में विद्युतीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
14. हाईस्कूल लाद, हाईस्कूल सरमोका, हाईस्कूल मनके, हाईस्कूल पतुरियाडांड में शिक्षकों की कमी को पूरा करने का उल्लेख नहीं है।
15. कटघोरा से शिवनगर तक 140 किमी. फोरलेन सड़क के दोनो ओर इमारती वृक्षों की अवैध कटाई रोकने का उल्लेख नहीं है।
16. जरगा में शासकीय महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

23. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1 अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलौदा तहसील स्थित नहरों से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

2 उद्योगों में कार्यरत मजदूरों हेतु आदर्श पुर्नवास नीति 2007 का समुचित पालन कराने का उल्लेख नहीं हैं।

3 प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में हो रही मौत जैसी घटना से बिगड रही कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

4 अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने का उल्लेख नहीं है।

5 अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित सरई श्रृगार, पहरिया पाठ, खम्भदेश्वरी खिसोरा, आदि को धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का उल्लेख नहीं है।

6 जिला खनिज न्यास मद समिति में जिला के समस्त विधायकों को शामिल किए जाने का उल्लेख नहीं है।

7 अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम अर्जुनी में हायर सेकण्डरी स्कूल एवं नवागांव में हाईस्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

8 जांजगीर चांपा जिले के बलौदा–पंतोरा–उरगा सड़क का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

9 प्रदेश के किसानों के धान की फसल को 2100/– प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदने एवं 300 बोनस दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

24. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग के बढ़ावा देने के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है ।
2. प्रदेश में कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है ।
3. खैरागढ़ को जिला बनाये जाने का उल्लेख नहीं है ।
4. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है ।
5. प्रदेश में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
6. प्रदेश में कुपोषण के रोकथाम हेतु कोई ठोस पहल का उल्लेख नहीं है ।
7. मनरेगा में भ्रष्टाचार रोकने हेतु कोई नीति का उल्लेख नहीं है ।
8. मंदी के दौर में किसानों के फसल का समुचित मूल्य दिलवाने के विषय में कोई ठोस रणनीति का उल्लेख नहीं है ।
9. किसानों को सस्ती दरों पर बीज उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है ।
10. वनों के अवैध कटाई रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाये जाने का उल्लेख नहीं है ।
11. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र नये उद्योग लगाने का उल्लेख नहीं है ।
12. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिए कोई नये बॉध बनाने का उल्लेख नहीं है ।
13. बजार अतरिया में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है ।
14. प्रदेश में शराब बंदी लागू करने का उल्लेख नहीं है ।
15. धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये एवं बोनस 300 रूपये देने का उल्लेख नहीं है ।
16. बाढ़ के पानी को रोकने हेतु नये स्टाप डेम एवं नदी में पिंचिंग कराने का उल्लेख नहीं है ।
17. चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु नये संसाधन एवं स्टॉफ की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है ।
18. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में वनांचल ग्रामों जैसे पैलीमेटा, मगरकुंड अंचल हेतु शुद्ध पेयजल संबंधी योजनाओं का उल्लेख नहीं है ।
19. किसानों को सस्ती दर पर खाद्य उपलब्ध कराने हेतु खाद्य नीति बनाये जाने का उल्लेख नहीं है ।
20. बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने हेतु कोई ठोस रणनीति का उल्लेख नहीं है ।
21. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में नहर नाली विस्तार करने का उल्लेख नहीं है ।
22. जालबॉधा क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है ।
23. किसानों का कर्ज माफी करने का उल्लेख नहीं है ।

24. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कृषि बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद कृषि महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है ।
25. नये पुल पुलियों का निर्माण का खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र का उल्लेख नहीं है ।
26. नक्सलवाद रोकने हेतु कोई ठोस रणनीति बनाये जाने का उल्लेख नहीं है ।
27. प्रदेश में नकली खाद एवं अमानक बीज वितरण की रोकथाम करने की रणनीति का उल्लेख नहीं है ।
28. प्रदेश के गन्ना उत्पादकों, कृषकों के समर्थन मूल्य बढ़ाने का उल्लेख नहीं है ।
29. प्रदेश में पॉच हार्स पॉवर तक क्षमता के सिंचाई विद्युत पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है ।
30. प्रदेश के सिंचाई रकबा बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है ।
31. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के पण्डरिया जलाशय के लाइनिंग विस्तार का उल्लेख नहीं है ।
32. गौ हत्या एवं तस्करी को रोकने हेतु कोई ठोस नीति का उल्लेख नहीं है ।
33. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है ।
34. प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन करने का उल्लेख नहीं है ।
35. प्रदेश के किसानों को तय समय पर खाद, बीज व कृषि उपकरण उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।
36. किसानों के खेती संबंधी उपकरणों में सब्सिडी बढ़ाए जाने का उल्लेख नहीं है ।
37. प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य देने में सरकार असफल रही है।
38. प्रदेश के उत्पादित समस्त धान की खरीदी करने की सरकारी नीतियां विफल रही है।
39. प्रदेश में अमानक खाद बीज के विक्रय को रोकने में सरकार विफल रही है।
40. प्रदेश के किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
41. प्रदेश के स्कूलों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
42. प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
43. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के निदान करने में सरकार असफल रही है।

25. श्री अरूण वोरा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. दुर्ग में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में आबादी भूमि का पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के शहरों में निवासरत आवासहीन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
5. किसानों को धान का बोनस 300/– देने का उल्लेख नहीं है।
6. किसानों के धान को 2100/– प्रति क्विंटल में खरीदने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में बढ़ते आपराधिक घटनाओं में कमी लाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर की वृद्धि रोकने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में गुणवत्तायुक्त सड़क निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
12. विद्युत दरों में कमी का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं को लैपटॉप प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

26. श्री संतराम नेताम, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. कोण्डागांव जिला के उद्यानिकी फसलों में ड्रिप एरिगेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने में सरकार असफल रही है।
2. शिक्षाकर्मियों को समय पर वेतन एवं मानदेय दिलाने का उल्लेख नहीं है ।
3. बस्तर में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन का उल्लेख नहीं है।
4. अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के जीवकोपार्जन के प्रमुख स्त्रोत, वनोपज की दर बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
5. केशकाल विधानसभा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या के निदान का उल्लेख नहीं है।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केशकाल, विश्रामपुरी, फरसगांव एवं धनोरा में स्वीकृत पद अनुरूप डॉक्टरों की पदस्थापना का उल्लेख नहीं है।
7. केशकाल विधान सभा क्षेत्र आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन एवं स्वच्छ, जल हेतु नलकूप की कमी दूर करने का उल्लेख नहीं है।
8. केशकाल ब्लॉक के ग्राम खालेमुखेण्ड में बालक छात्रावास खोलने का उल्लेख नहीं है।
9. बस्तर संभाग के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
10. केशकाल विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
11. विकासखंड बड़ेराजपुर के माध्यमिक शाला करमरी को हाई स्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
12. टिकरापारा (जामगांव) कछारपारा एटेकोन्डाही मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
13. उपस्वास्थ्य केन्द्र सारंगपुरी में हैण्डपंप खोदने का उल्लेख नहीं है।
14. जिला कोण्डागांव को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
15. बस्तर क्षेत्र के एक शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु शिक्षक भर्ती का उल्लेख नहीं है।
16. विकासखंड बड़ेराजपुर के हाईस्कूल हेतु नवीन भवन स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
17. विकासखंड बड़ेराजपुर के आमागुहान से आमाडिही मार्ग स्थित नदी में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
18. विकासखंड फसरगांव के संवेदनशील क्षेत्र कोकोडाजुंगानार में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

19. विकासखंड फसरगांव के अति संवेदनशील ग्राम गोडमा में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
20. नक्सली क्षेत्रों में तैनात जवानों के जोखिम भत्ते में बढ़ोत्तरी करने का उल्लेख नहीं है।
21. प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत सड़कों के गुणवत्तायुक्त निर्माण का उल्लेख नहीं है।
22. लोक निर्माण विभाग अंतर्गत निर्मित सड़क गुणवत्तायुक्त बनवाने का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं में खेल मैदान उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
24. शासकीय चिकित्सालयों में डॉक्टरों की नियुक्ति करवाने का उल्लेख नहीं है।
25. स्वच्छ भारत योजना अंतर्गत निर्मित शौचालय गुणवत्ता युक्त बनवाने का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश के सभी छात्रावासों एवं आश्रमों में अहाता निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
27. केशकाल विधानसभा क्षेत्र के कई भवनविहीन प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कलों हेतु भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
28. केशकाल विधानसभा क्षेत्र के कई कस्बा को मुख्यमार्ग तक जोड़ने हेतु सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाईट देने का उल्लेख नहीं है।
30. विकासखंड बड़ेराजपुर के ब्लॉक मुख्यालय विश्रामपुरी में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
31. गांव–गांव में अवैध शराब बिक्री रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश सरकार बस्तर संभाग के गांव, पारा टोला में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश में मानव तस्करी एवं महिला उत्पीडन रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश में बढ़ रही लूट, डकैती, दुराचार के अपराधों को रोकने का उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश में वन माफियाओं द्वारा वन की अवैध कटाई रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
36. गांवों में आबादी अनुसार स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
37. प्रदेश में प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार रोक कर स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश में नक्सली घटना को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं हैं।
39. सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित संपूर्ण धान को खरीदने का उल्लेख नहीं है।

40. आम जनता को सस्ती दर पर बिजली देने का उल्लेख नहीं है।
41. प्रदेश में महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु विषयवार प्राध्यापकों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।
42. प्रदेश में गुणवत्ता युक्त सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
43. किसानों को उन्नत बीज खाद्यान्न उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
44. ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
45. प्रदेश के युवा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
46. प्रदेश में किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100/– रूपये प्रति क्विंटल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
47. घोषणा पत्र अनुसार किसानों को 300/– प्रति क्विंटल बोनस भुगतान का उल्लेख नहीं है।
48. केशकाल विधानसभा क्षेत्र के अनेक जनपदों मे ंमनरेगा अंतर्गत किये गये कार्यो के लंबित करोड़ों रूपये का मजदूरी भुगतान कराने का उल्लेख नहीं है।
49. प्रदेश में रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे पलायन को रोकने का उल्लेख नहीं है।

27. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. फसल बीमा योजना का सही क्रियान्वयन करने का उल्लेख नहीं है।
2. किसानों को फसल का उचित मूल्य तथा मंडियों में फसल के रख–रखाव को सही ढंग से करने का उल्लेख नहीं है।
3. दुध की उत्पादन के साथ मार्केटिंग, संग्रहण की कमी है। गेंहू, दलहन, तिलहन की दर को बढ़ाने तथा अमानक बीज वितरण की रोकथाम के लिये ठोस कदम उठाये जाने का उल्लेख नहीं है।
4. किसानों को उचित बोनस राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश की नहरों, बांधों रख–रखाव की समुचित व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में जंगली जानवरों से हो रही जानमाल की भारी क्षति के निराकरण का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में नक्सली समस्या के निराकरण के उपायों का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश व्याप्त भ्रष्टाचार के नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती एवं लो–वोल्टेज की समस्या के निदान का उल्लेख नहीं है।

28. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. आदिवासी क्षेत्र मोहला चौकी के विरन ग्राम–परसाटोला पंचायत के काबिज आदिवासी गैर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
2. मोंगरा जलाशय और औंधी जलाशय में पर्यटन स्थान बनाने का उल्लेख नहीं है।
3. मोंगरा जलाशय से प्रभावितों को मुआवजा प्रदान करने तथा उनके लिये बसाहट निर्माण करने तथा झुरमुरी चौकी की बसाहट करने का उल्लेख नहीं है।
4. मोहला, जिला–राजनांदगांव, पानाबरस प्रोजेक्ट में वनों से आम जनता एवं निस्तारी हेतु सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
5. उप पुलिस जिला मानपुर, जिला–राजनांदगांव को पूर्ण पुलिस जिला प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. मोहला राजस्व अनुभाग, जिला– राजनांदगांव को राजस्व जिला मोहला बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. मोहला, जिला–राजनांदगांव आई.टी.आई. बंद पड़ें को नवीन ट्रेड कृषि तकनीक बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा में गुणवत्ता एवं रिक्त पड़े स्थानों में आरक्षण अनुसार भरती करने का उल्लेख नहीं है।
9. मोहला जिला–राजनांदगांव में आदिवासी बच्चों के आधुनिक शिक्षा विकास हेतु केन्द्रीय विद्यालय संस्थान खोलने का उल्लेख नहीं है।
10. आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने तथा "मोंगरा बराज" के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
11. सुदूर आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने तथा कृषि, शिक्षा व्यवधान को दूर करने पांगरी टाटेकसा शिवनाथ नदी पर एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
12. आदिवासी क्षेत्रों में संचालित कन्या परिसर विद्यालय में नीतिगत (आवासीय) अस्पताल की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
13. आदिवासी क्षेत्रों में मुरेटीटोला चौकी तथा कृषि महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

14. सुदूर आदिवासी अंचल खड़गांव, पल्लेभाड़ी, बोदरा तक आवागमन हेतु सड़क तथा शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

15. आदिवासी पिछड़े वर्ग की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय हेतु अम्बागढ़ चौकी सिविल न्यायालय प्रथम को अतिरिक्त अपर न्यायालय का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

29. श्री केशव चंद्रा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. उज्जवला योजनांतर्गत गरीबों को सस्ते दर पर गैस वितरण किया गया किंतु गैस सिलेन्डर रिफिल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
2. मुख्यमंत्री एल.ई.डी. बल्ब योजना के तहत् बल्ब वितरण किया गया जो की शीघ्र खराब हो रहे हैं जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
3. समय पर बिजली बिल भेजने का उल्लेख नहीं है।
4. उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा हेतु डाक्टरों की कमी को पूरा करने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में किसानों की सुविधा हेतु पटवारी की कमी को पूरा करने का उल्लेख नहीं है।
7. मजदूरों को कार्य प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. धान का बोनस 300/– प्रति क्विंटल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
9. मजदूरों का पलायन रोकने का उल्लेख नहीं है।
10. शिक्षा स्तर को सुधारने स्कूलों में शिक्षक की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
11. महतारी योजना के सही क्रियान्वयन एवं पौष्टिक आहार का वितरण तथा उसकी जांच करने का उल्लेख नहीं है।
12. सिटी बस सेवा से वंचित प्रदेश के सभी शहरों मे सिटी बस की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
13. नक्सली समस्या से निपटने हेतु टास्क फोर्स का उल्लेख नहीं है।
14. पन्द्रह वर्षों से कार्यरत् दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।
15. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत् लगे ग्रामों में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
16. धान खरीदी की निर्धारित समय के दौरान केन्द्र बंद रहता है। जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में विभिन्न स्तर के स्कूल संचालित हैं जिनके भवन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रत्येक वर्ष धान का उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन धान की खरीदी की मात्रा में बढ़ोत्तरी करने का उल्लेख नहीं है।

30. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. युवा वर्ग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
2. महिला वर्ग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
3. बेरोजगारों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
4. गरीब वर्ग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
5. धान का बोनस 300/– रूपये दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
6. शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का उल्लेख नहीं है।
7. धान को समर्थन मूल्य 2100/– रूपये पर खरीदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में खराब चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का उल्लेख नहीं है।

31. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. 'हमर छत्तीसगढ़' योजना अपने उद्देश्य से भटक गई है उसके सही क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नही है।
2. बेरोजगारी की समस्या गंभीर है।
3. जीवन उपयोगी वस्तुओं के बढ़ते मूल्य को रोकने का उल्लेख नहीं है ।
4. बहुत से किसान भूमि अधिग्रहण के पश्चात् मुआवजा राशि से वंचित है। मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं हैं।
5. पुलिस विभाग के अनेक कर्मचारियों को आवास नहीं मिल रहा । आवास की समस्या का समाधान शीघ्र करने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के स्कूल भवन विहीन होने के कारण छात्रों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
7. शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने का उल्लेख नहीं है ।
8. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किये गये कार्य का पूर्ण लाभ किसानों को प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
9. "महतारी जनन योजना" के अंतर्गत मितानिन का मानदेय कम होने से मितानिन स्वयं ही कुपोषित, पीड़ित, शोषित हैं, उनको सही मानदेय प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
10. उपस्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे प्रसूति सेवाएं, डॉक्टर की कमी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है ।
11. स्वच्छ भारत मिशन कार्य को गंभीरता से पूरी कराये जाने का उल्लेख नहीं है ।
12. लाइवलीहुड कॉलेज में कौशल उन्नयन का लाभ, प्रशिक्षण सुविधा आदि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।
13. धान खरीदी में अनेक कृषकों का पंजीयन नहीं किया गया जिससे कृषकों को धान बेचने का लाभ नहीं मिल रहा। पंजीयन कराने का उल्लेख नहीं है।
14. किसानों को फसल बीमा योजना का उचित लाभ दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
15. रेडी–टू–इट योजना के सही क्रियान्वयन करने का उल्लेख नहीं है ।
16. कन्या छात्रावास–आश्रमों में छात्राओं के शोषण को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है ।
17. शासकीय शालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का उल्लेख नहीं है ।
18. महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उपायों का उल्लेख नहीं है ।

32. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. प्रदेश में हरिहर योजना के तहत रेल्वे लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, ग्रामीण मार्ग के किनारे–किनारे वृक्षारोपरण नहीं किया गया है। वृक्षारोपण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के गरीब मजदूरों को 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो चावल दिया जाता है, वह अपर्याप्त है, पर्याप्त चावल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में बेराजगारी से निजात दिलाने हेतु किसी भी प्रकार की योजना का उल्लेख नहीं है।
4. विधान सभा क्षेत्र बिल्हा के चकरभाठा विमान तल से यात्री विमान सेवा प्रारंभ कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. बिल्हा विधान सभा क्षेत्र की नगर पालिका–तिफरा, नगर पंचायत–सिरगिट्टी एवं बोदरी में शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के पर्यटक स्थल ताला देवरानी–जेठानी मंदिर तथा मदकू त्रिवेणी संगम तक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिटी बस के संचालन का उल्लेख नहीं है।
7. बिल्हा विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत तिफरा में मिनी स्टेडियम, सिरगिट्टी, बोदरी, सरगांव, पथरिया नगर पंचायत एवं 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों (जैसे परसदा, कडार, सेवार, बरतोरी, रहगी, मुहभट्टा, सिलदहा आदि गांव) में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
8. बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के विधायक आदर्श ग्राम धौराभाठा एवं सिलदहा में सीसी गली, गौरव पथ, पानी, बाजारहाट, संपूर्ण विद्युतीकरण, अस्पताल एवं पूर्ण शराब बंदी का उल्लोख नहीं है।
9. स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी ग्रामों में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। गरीबी रेखा के नीचे वाले ग्रामीणों के यहां निर्माण हुआ है। गरीबी रेखा के नीचे की सूची में जिन लोगों के नाम नहीं हैं उनके यहां शौचालय निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
10. आवासहीनों को आवास देने हेतु प्रदेश की पंचायतों की घास जमीन को आबादी में परिवर्तित कर आवासहीनों को भूमि देने का उल्लेख नहीं है।
11. बिलासपुर एवं मुंगेली जिले के साथ–साथ बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
12. बिलासपुर जिले के धौराभाठा पुलकलेश्वर धाम एवं मटियारी केचतुमजी संगम को पर्यटन स्थल घोषित करने का उल्लेख नहीं है।

13. राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा किसानों को कर्ज एवं खाद–बीज देने के लिए 10 से 20 प्रतिशत नगद राशि जमा कराई जाती है, उस पर किसानों को ब्याज दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

14. प्रदेश के किसानों को 2100 रूपये समर्थन मूल्य और 300 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिये जाने का संकल्प लिया था, लेकिन उसका उल्लेख नहीं है।

15. प्रदेश की विद्युत कंपनियों द्वारा हितग्राहियों को ज्यादा बिजली बिल दिया जा रहा है, उसकी रोकथाम, विद्युत नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कर विद्युत केन्द्र में कनिष्ठ यंत्री को पदस्थ कर उपभोक्ताओं की समस्या का निराकरण करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

16. प्रदेश के किसानों की समस्या के निवारण हेतु किसान आयोग के गठन का उल्लेख नहीं है।

17. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए दूसरे प्रदेश के लोगों को सरकारी नौकरी बंद करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

18. प्रदेश की जनभावना को देखते हुए पूर्ण शराब बंदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।

33. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिये रायपुर–धमतरी रेल लाईन का आमान परिवर्तन कर कांकेर तक रेल लाईन विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाएं की खराब हालत को सुधारने एवं समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
3. पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
4. शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों को तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति तथा उनके पेंशन, ग्रेच्युटी के निर्धारण व अन्य सुविधाएं प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
5. विधायक आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु पृथक से अतिरिक्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
6. किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100/– प्रति क्विंटल तथा 300/– प्रति क्विंटल प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में संचालित सभी प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा नवमीं से बारहवीं तक की कक्षाओं का सही संचालन करने का उल्लेख नहीं है।

34. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में वनों की अवैध कटाई को रोकने का उल्लेख नहीं है।
2. मजदूरों के पलायन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
3. धान का 300 रूपये बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
4. वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी करने का उल्लेख नहीं है।
5. उज्जवला योजनांतर्गत गरीबों को सस्ते दर पर गैस वितरण किया किंतु गैस सिलेण्डर तथा रिफिल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में शराब बंदी करने का उल्लेख नहीं है।
7. धान खरीदी के निर्धारित समय के दौरान केन्द्र 15 दिन बंद रहा जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।